जनपद गाजियाबाद	प्रेस नोट	दिनांक 04.11.22

क्राईम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद द्वारा 02 शातिर लुटरे, लूट के 01 मोबाइल, नगदी व चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार।

जनपद में लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने व उनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद लगातार लुटेरों/स्नैचरों के विरूद्ध कार्यवाही कर रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांकः 04.11.2022 को क्राइम ब्रान्च जनपद गाजियाबाद को थाना कविनगर क्षेत्र में सूचना मिली कि पिछले कुछ समय से जनपद गाजियाबाद में जो गिरोह लूट/स्नैचिंग की घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं वो लूट करने हेतु आरडीसी से विवेकानन्द फ्लाई ओवर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नेहरू नगर के फ्लाई ओवर के पास 02 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रान्च को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पकड़े गये लुटेरों के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल, लूटी गयी चैन को बेचकर प्राप्त 3800 रूपये नगद, 01 चोरी की एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण :–

पूछताछ करने पर लुटेरों ने बताया साहब यह स्कूटी हमनें पिछले सप्ताह में रात को कविनगर से चोरी की थी। हम ऐसे ही दुपहिया मोटरसाइकिल या स्कूटी चुरा लेते हैं तथा फिर चोरी की गाडियों से राह चलते लोगों से मोबाइल या औरतों के चैन–कुण्डल आदि जो मिल जाए छीन लेते हैं। हम दोनों ने मिलकर चार–पांच माह पहले कविनगर से ही रामलीला ग्राउण्ड के पास से एक लडके के गले से सोने की एक चैन छीनी थी जिसका कुछ हिस्सा टूटकर मेरे पास आ गया था और बाकि वही सड़क पर गिर गया था वही चैन का टुकडा आज ही मैनें पुराने बस अड्डे के पास राह चलते एक आदमी को 3800 रूपये में बेच दी थी ये उसी के पैसे हैं, जो हम दोनो ने 1900–1900 आपस में बांट लिये थे। हम लोग अपने खर्चे और शौक तथा वकील का खर्चा लूट करके ही पूरे करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :–

1. कादिर पुत्र रियामुद्दीन निवासी चांदमारी कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद
2. जिबराइल पुत्र इसराइल निवासी बलसवा दिल्ली

बरामदगी :–

1. 01 एक्टिवा स्कूटी **(चोरी की)**
2. 01 मोबाइल लूट/चोरी
3. 3800 नगद (लूटी गयी चैन को बेचकर प्राप्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दकी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री अरूण वर्मा क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री संजीव चौधरी थाना कविनगर गाजियाबाद
4. है0कां0 1677 वरूणवीर क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. है0कां0 1564 आशुतोष सिंह क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
6. है0कां0 1297 सौरभ सोलंकी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
7. कां0 2003 सचिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
8. कां0 1363 मनीष कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
9. है0कां0 सहचालक उम्मेद खान क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
10. है0कां0 1396 प्रदीप कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। कब्जे से एक अदद नाजायाज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल हीरो स्पलेन्डर रंग काला **व एक कैमरा लूट का सम्बंधित मु०आ०स०732/2022 धारा 341,392 भा०द०वि० व एक मोबाइल लूट का बरामद हुआ।**

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 03.11.022 को समय करीब 22.00 बजे बन्धला नहर रोड डीपीएस स्कूल के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान लुटेरे अभि0 शिवम शर्मा उर्फ़ शिवम पंडित पुत्र सुरेश चन्द्र नि० राम विहार बंथला थाना लोनी गाज़ियाबाद उम्र 22 वर्ष को एक अदद नाजायाज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना मे प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल स्पलेन्डर रजिस्ट्रेशन न० DL5SCM8241 को अपने चालान एप पर देखा तो चैसिंस न0 MBLHAW125L4G06123 व इंजन न० HA11EYL4G06088 इसके सम्बन्ध में ई-एफआईआर न0 031236/2022 धारा 379 भा०द०वि० थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली पर दर्ज होना पाया गया व एक कैमरा लूट का सम्बंधित मु०आ०स०732/2022 धारा 341,392 भा०द०वि० व एक मोबाइल लूट का बरामद हुआ। अभियुक्त को मा0 न्यायालय समय से पेश किया जायेगा।

अभि0 से पूछताछ

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि करीब तीन माह पहले मैंने व मेरे साथी सीटू उर्फ़ रोबिन नि० जीवना थाना बिनौली बागपत ने मिलकर रात्रि करीब आठ – साढ़े आठ बजे लोनी तिराहे के पास से जा रही एक महिला से यह फोन छीना था। अभियुक्त के पास पिट्ठू बैग को खोल कर देखा गया तो बैग के अंदर एक अदद काली पोलीथिन में एक अदद पुराना इस्तेमाली डिजिटल केमरा जिसका मोडल न० NIKON D7100 जिसको पलट कर देखा गया तो अंग्रेजी में NIKON DIGITAL CAMERA D7100 NIKON CORP. JAPAN MADE IN THAILAND लिखा है जिसके बारे में अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया की साहब करीब सवा माह पूर्व जिओ स्टूडियो लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी से मैंने तथा मेरे साथी सीटू उर्फ़ रोबिन नि० जीवना बागपत तथा सीटू का साथी जिसका मैं नाम नहीं जानता उस लड़के का नाम सीटू ही जानता है ,मैंने करीब दो महीने से अधिक का समय हो गया है जोहरी मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला से एक मोबाइल redmi कम्पनी का छीना था जो मैंने चलते फिरते व्यक्ति को बेच दिया था तथा यह भी बताया कि साहब मैंने व सीटू उर्फ़ रोबिन व सीटू के साथी तीनो ने मिलकर एक मोबाइल फोन लगभग करीब तीन माह हुए एक व्यक्ति के सिर पर असलाह रखकर शिव चौक बुध बाज़ार रोड से छीना था जो हम तीनो ने चलते फिरते व्यक्तियों को बेच दिये थे इसके अलावा एक महीने से अधिक का समय हो गया है ब्लाक मार्किट एस0 के0 स्टूडियो से स्टूडियो मालिक को बाँधकर उसका कैमरा तथा उसकी जेब व गल्ले से रुपये लूट कर ले गये गये थे लूटा गया वह कैमरा मेरे साथी सीटू उर्फ़ रोबिन के पास में है| लूटे हुए रुपये व मोबाइल फोन को बेचकर आये रुपये को हम तीनो ने आपस में बाँट लिया था जो मौज मस्ती में खर्च कर दिए है। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मेरे पास चोरी की मोटरसाईकिल व कैमरा , मोबाइल व तमंचा था इसलिए हम पुलिस को देखकर डर गया था इसीलिए बचने के लिए मैने गोली चलायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. अभि0 शिवम शर्मा उर्फ़ शिवम पंडित पुत्र सुरेश चन्द्र नि० राम विहार बंथला थाना लोनी गाज़ियाबाद उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर शिवम शर्मा उर्फ़ शिवम पंडित का आपराधिक इतिहास:-

पकड़े गए बदमाश उपरोक्त पर लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा अभियोग पंजीकृत है उनका विवरण इस प्रकार है

1- 826/22 धारा 307 भादवि0 थाना लोनी बोर्डर

2- 827/22 धारा 411/414 भादवि0 थाना लोनी बोर्डर

3.-828/22 धारा 3/25/27 आर्म एक्ट भादवि0 थाना लोनी बोर्डर

4. मु०आ०स०732/2022 धारा 341,392 भा०द०वि० थाना लोनी बोर्डर

5. ई-एफआईआर न0 031236/2022 धारा 379 भा०द०वि० थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली

6.मु0अ0स0 648/21 धारा 392/411 भादवि0 जनपद मेरठ

7. मु0अ0स0 651/21 धारा 411/414 भादवि0 जनपद मेरठ

8. मु0अ0स0 04/17 धारा 379/411 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

9. मु0अ0स0 1600/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

10. मु0अ0स0 2624/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना कविनगर गाजियाबाद

11. मु0अ0स0 368/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

12 मु0अ0स0 10843/18 धारा 379/411 भादवि0 आनन्द विहार दिल्ली

13. मु0अ0स0 369/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

14. मु0अ0स0 9543/18 धारा 379/411 भादवि0 विवेक विहार दिल्ली

15. मु0अ0स0 28160/18 धारा 379/411 भादवि0 इस्माइलपुर दिल्ली

16. मु0अ0स0 954/22 धारा 379 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

17. मु0अ0स0 1032/22 धारा 392 भादवि0 थाना लोनी गाजियाबाद

अभियुक्त शिवम शर्मा उर्फ़ शिवम पंडित से बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 वोर।
2. एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेन्डर रंग काला चोरी की

3.एक कैमरा लूट का सम्बंधित मु०आ०स०732/2022 धारा 341,392 भा०द०वि०

4. एक मोबाइल लूट का बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1- व0उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा थाना लोनीबार्डर ।
2- उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर
3- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना लोनी बोर्डर ।
4- उ0नि0 श्री आशीष जादौन थाना लोनी बोर्डर ।
5- हे0का0 246 जितेन्द्र सिंह थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
6- है०का० 138 जितेन्द्र कुमार सिंह लोनी बोर्डर गा0बाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद चाकू, एक अदद स्कूटी व एक अदद मोबाइल सैमसंग पुराना इस्तेमाली S-9 काले रंग का लूटा हुआ बरामद।

जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः-03.11.22 समय 21.10 बजे घटनास्थल- ट्रास्पोर्ट एरिया सीमा बार्डर के पास उ0नि0 श्री सौरभ कुमार व उ0नि0 अमित शर्मा मय फोर्स के नेतृत्व मे अपराध व अपराधियों की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग भडाना कट के सामने की जा रही थी। दौराने चेकिंग स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति जिनको पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के लिए रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गयी तथा ट्रांसपोर्ट एरिया की तरफ सीमा की तरफ तेज रफ्तार में भागे, जिन्हे पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने के उद्देश्य से पीछा किया गया तो

सीआरसी कट के पास अभियुक्तगण को घेरने के प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुनः तमंचा लोड करने का प्रयास करने लगा। आत्म रक्षार्थ हेतु पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई जो बदमाश इकराम के दाहिने पैर में गोली लग गई और मौके पर दोनो अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर लिया गया पकड़े गए बदमाशो ने अपना नाम मौ0 इकराम पुत्र मौ0 इस्माइल नि0- म0न0 3112, गली फरहतुल्लाह लाल कुआं थाना होज काजी दिल्ली (पुलिस मुठभेड मे घायाल) व फिरोज पुत्र मौ0 यामीन नि0- ए-220 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद बताया। घायल अभियुक्त इकराम को तुरंत प्राथमिक उपचार हेतु जरिए सरकारी वाहन अस्पताल रवाना किया गया फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभि0गण द्वारा एनसीआर क्षेत्र में स्कूटी से घूम घूम कर रात्रि मे दोपहिया वाहन वाले व्यक्तियों से लूट की घटनाओ को अन्जाम देना है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.मौ0 इकराम पुत्र मौ0 इस्माइल नि0- म0न0 3112, गली फरहतुल्लाह लाल कुआं थाना होज काजी दिल्ली

2.फिरोज पुत्र मौ0 यामीन नि0- ए-220 शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0स0 238/22 धारा 392 भादवि

2. मु0अ0स0 1757/2022 धारा 307/394/34 भादवि

3.मु0अ0सं0 1759/2022 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 A.Act

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

उ0नि0 श्री सौरभ कुमार

उ0नि0 श्री अमित शर्मा

हे0का0 1493 रीगन

का0 2408 उदयवीर

का0 3193 सुशील

का0 2461 सुनील

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं एक अदद चाकू, एक अदद स्कूटी लूटी हुई सबंधित मु0अ0स0 1757 / 2022 धारा 307/394/34 भादवि व एक अदद मोबाइल सैमसंग पुराना इस्तेमाली S-9 काले रंग का सबंधित मु0अ0स0 238/22 धारा 392 भादवि

–::प्रेस–नोट::–

यातायात पुलिस गाजियाबाद

आज दिनांक 04.11.2022 को **श्री मुनिराज जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, सर** के निर्देशन में यातायात माह नवम्बर 2022 के अन्तर्गत प्रभावी अभियान चलाकर जागरूकता एवं प्रवर्तन की निम्न कार्यवाही की गयीः–

(1)– जागरूकता कार्यक्रमः–

- हाईवे पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु हाईवे के दोनो ओर रहने वाले स्थानीय लोगों को यातायात नियमों व सडक सुरक्षा के बिन्दुओं के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
- जनपद के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर लाउडस्पीकर के द्वारा आमजनों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उनका पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
- ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य भारी व्यवसायिक वाहनों पर रेट्रो–रिफलेक्टिव टेप लगाते हुए चालकों को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गयी एवं उनका पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
- जनपद के प्रमुख चौराहों/तिराहों पर बैनर/पोस्टर/पम्पलेटस् आदि के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार–प्रसार कर आमजनों को जागरूक किया गया।
- जनपद के स्कूल/कॉलेज में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करते हुए पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

(2)– प्रवर्तन कार्यवाहीः–

जनपद में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व यातायात पुलिस एवं नागरिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करते हुए चालानी कार्यवाही की गयीः–

- विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 137 वाहन चालकों के चालान किये गये।
- ऑटो में अतिरिक्त सीट लगाकर चलने वाले ऑटो चालकों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 58 ऑटो की अतिरिक्त सीट मौके पर कटवायी गयीं तथा उनके विरूद्व चालानी कार्यवाही की गयी।
- यातायात पुलिस एवं नागरिक पुलिस द्वारा अन्य प्रकार के यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 1209 वाहन चालकों के चालान एवं कुल 21 वाहनों को सीज तथा कुल रू0– 4,000/– शमन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक–यातायात,
गाजियाबाद।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभि0गण को मय (150) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलियो सहित किया गया। ।

दिनांक -04.11.2022

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः-03.11.2022 समय 17.15 बजे घटनास्थल मूवी पैलेस के सामने सीमापुरी की तरफ रोड पर 150 नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलियो सहित एक अभियुक्त को गिरफतार किया गया है | अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभि0 द्वारा एनसीआर व आसपास के जिलो मे नशे की गोलिया को राह चलते अलग-अलग लोगो के बेच देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

इमरान उर्फ अमन पुत्र अब्दुल मुकीम नि0 सी 336 नियर पानी का प्लांट शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1758/22 धारा 8/21 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

उ0नि0 श्री अमित शर्मा

का0 2408 उदयवीर

का0 2614 देवेन्द्र कुमार

बरामदगी का विवरणः-

(150) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलिया बरामद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभि0गण को मय (1800) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलियो सहित किया गया। ।

दिनांक -04.11.2022

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः-04.11.2022 समय 00.40 बजे घटनास्थल अम्बे हास्पिटल वाली रोड टी पाइन्ट गोल पार्क के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1800 नशीली गोलियां बरामद हुई है | अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभि0गण द्वारा एनसीआर व आसपास के जिलो मे नशे की गोलिया को राह चलते अलग-अलग लोगो के बेच देना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अमन पुत्र मनोज निवासी ई 4 काजीपुरम नन्द नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 19 वर्ष

2. अली पुत्र महबूब निवासी गली न0 15 राजीव कालोनी डीएलएफ थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1760/22 धारा 8/21 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी

उ0नि0 श्री राजेन्द्र पाल सिह

है0का0 1103 श्री निवास शर्मा

है0का0 101 प्रेम पाल सिह

बरामदगी का विवरणः-

(1800) नशीली गोलिया अलप्राजोलम नशीली गोलिया का कुल बजन 234 ग्राम बरामद